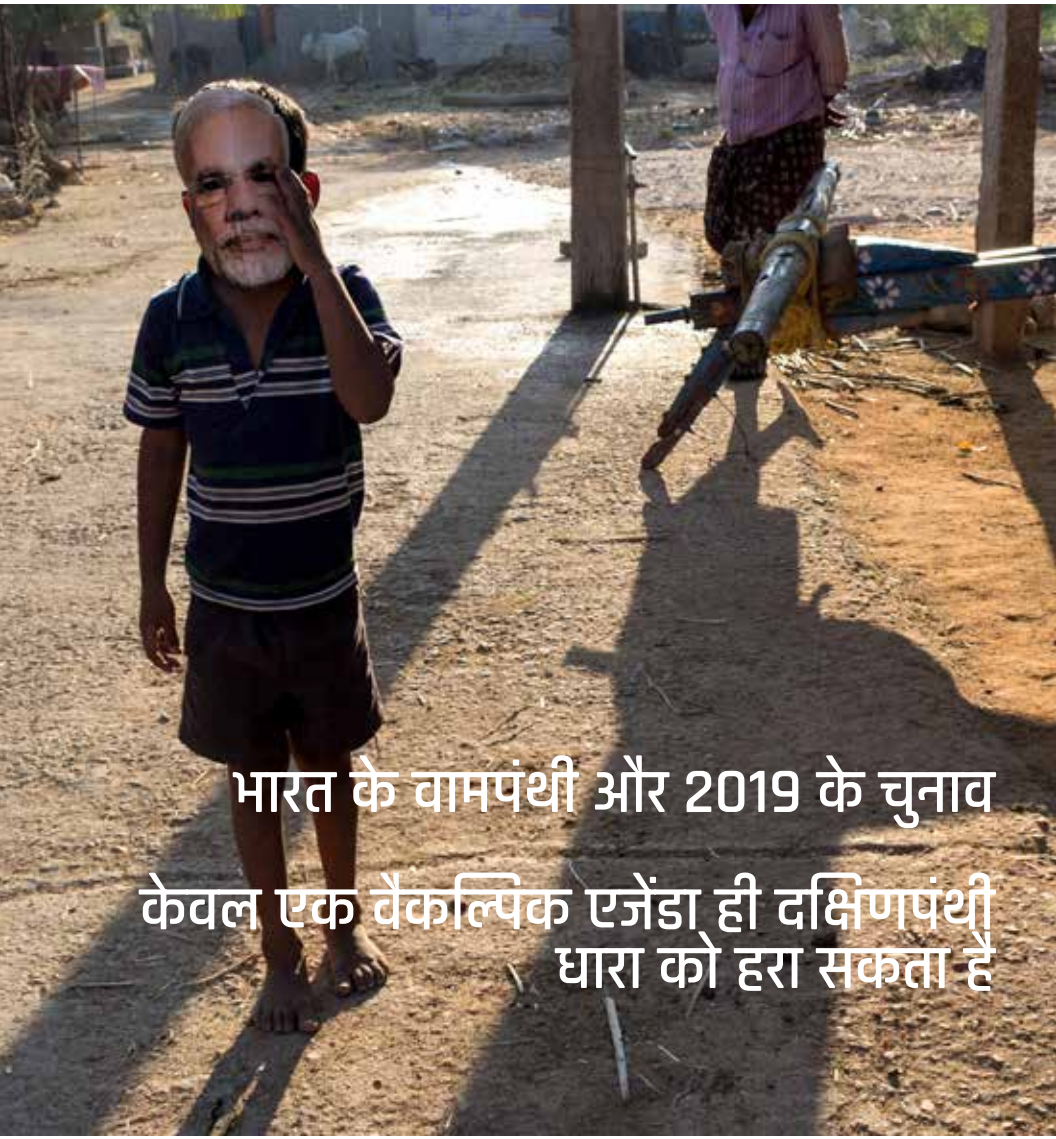

भारत के वामपंथी और 2019 के चुनाव

केवल एक वैकल्पिक एजेंडा ही दक्षिणपंथी धारा को हरा सकता है

डॉसियर # 12 ट्राइकांटिनेंटल: सामाजिक अनुसंधान संस्थान
जनवरी 2019

2019 में, भारत में लोकसभा चुनाव हैं जो दुनिया के चुनावी लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया होगी। मोटे तौर पर 85 करोड़ लोग भारत के 30 लाख 20 हज़ार वर्ग किलोमीटर में फैले भूभाग में अपना वोट डालेंगे। 2014 के पिछले आम चुनावों में, धुर दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत की संसद (लोकसभा) में बहुमत हासिल किया था। इसके तुरंत बाद ही भाजपा की नीतियों ने देश में अशांत वातावरण पैदा करना शुरू कर दिया था। सत्ता में आते ही एक तरफ विष से भरी सामाजिक ताकतों ने खुले तौर पर कमजोर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ सरकार अपने नज़दीकी पूंजीपतियों को देश की सामाजिक धन/सम्पत्ति सौपने लगी । निर्विवाद रूप से, भाजपा इस पर आगे बढ़ी। और फिर, दो उच्च-स्तरीय निर्णयों को बड़ी तेजी से लागू किया गया: एक, ऊँचे मूल्य वाले मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण यानि नोटबंदी जिसे नवंबर 2016 में लागु किया गया और दुसरा, माल और सेवा कर, यानि जी.एस.टी. जिसे जुलाई 2017 को लागु किया गया। इन दोनों निर्णयों के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाईं क्योंकि इसका प्रभाव न केवल बहुत गरीब तबके पर पड़ा, बल्कि इसने छोटे व्यापारिक समुदायों को भी काफी प्रभावित किया। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भाजपा भले फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हुई , लेकिन संसदीय उप-चुनावों और राज्य विधान सभा के कई चुनावों में हार का सिलसिला बरकरार रहा । अब जैसे-जैसे आम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं भाजपा उतनी ही घायल अवस्था में नज़र आ रही है।

2018 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में, भाजपा को उत्तर भारत में तीन महत्वपूर्ण राज्यों – छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान – में हार का मुँह देखना पड़ा। ये भाजपा के मज़बूत गढ़ माने जाते थे। इन राज्यों में भाजपा की हार का कारण उनके द्वारा नव-उदारवादी नीतियों को लागू करना और उससे उत्पन्न कृषि संकट था, जिसे न तो भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें संबोधित कर पायी और न ही मोदी मंत्रिमंडल इसका कुछ समाधान निकाल पाया। वामपंथियों के नेतृत्व में किसानों के विरोध ने, बीजेपी के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध और गुस्से को ताकत दी है। भारतीय वामपंथियों के घटकों में से एक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) है। ट्राइकांटिनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च के फेलो जिप्सन जॉन और जितेश पीएम ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में सीपीआई (एम) की पोलित ब्यूरो सदस्या बृन्दा करात से बात की। बृंदा करात लगभग पांच दशकों से माकपा की सदस्या रही हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन से अपने पार्टी के काम की शुरुवात की थी

और फिर 1993 से 2004 तक अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का नेतृत्व किया। 2006 से, करात राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच के साथ काम कर रही हैं, जो देशज समुदायों का एक मंच है। वह 2005 से 2011 तक भारतीय संसद की सदस्या भी रही हैं। करात को 2005 में सी.पी.आई.(एम) के पोलित ब्यूरो में चुना गया था। इस डोसियर र में उनके साक्षात्कार का एक संपादित उद्धरण मौजूद है।

आवरण चित्र : राहुल एम।

'मोदी-मुखौटा' पहने एक बच्चा, अमदागुर मंडल, अनंतपुर ज़िला। अनंतपुर सूखा प्रभावित ज़िला है। इसके लिए 'सूखा' जैसे एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। यहाँ के अमदागुर मंडल के गाँव सर्वाधिक सूखा-पीड़ित गाँवों की श्रेणी में आते हैं। इन गाँवों में विस्थापितों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ के किसान को अपनी खेती-बाड़ी बनाए रखने के लिए अक्सर ही कोच्चीन और बंगलुरु जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है।

बृंदा करात, संदेशखाली, पश्चिम बंगाल, 2015
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

भाग 1 : समस्या

भारत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली धुर दक्षिण पंथी सरकार अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर गई है। आप इस सरकार के पिछले चार वर्षों का आकलन कैसे करती हैं?

मेरा मानना है कि भारत को विदेशी ताकतों के बजाय मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ज्यादा खतरा है। पिछले साढ़े चार वर्षों में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान (1950) के मूल सिद्धांतों पर चौतरफा हमला किया है। हमारे संविधान के अभिन्न अंग धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों ने भारत की राजनीति और समाज को एक आकार दिया है। इस पर भाजपा सरकार द्वारा कई तरीकों से हमला किया गया है।

हालांकि एक कम्युनिस्ट होने के नाते, मेरा मानना है कि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें संविधान लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नही है। उदाहरण के लिए, काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए और कई नीति निर्देशक सिद्धांतो को मौलिक अधिकार बनना चाहिए [राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जैसे कि पुरुषों और महिलाओं को पर्याप्त आजीविका का अधिकार मिलना और पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना, यह मात्र एक सुझाव हैं जो अनिवार्य नहीं हैं] । संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था लेकिन इसे संविधान की धारा 300 ए की शुरुआत के माध्यम से एक वैधानिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया है। अब, उच्च न्यायालयों को संपत्ति के अधिकारों की चिंता करने वाले मुद्दों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसका परिणाम देखें। अब हमारे सामने बिहार की अदालत के ऐसे फैसले हैं जो देवताओं को कानूनी संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं जिनके पास भूमि के अधिकार हैं। ये निर्णय मंदिरों की रक्षा करते हैं और उन ग्रामीण अमीरों की भी जो मंदिर ट्रस्टों के माध्यम से उपजाऊ भूमि के विशाल भूभाग पर कब्ज़ा कर लेते हैं। यह एक ऐसे राज्य की बात है, जहाँ भूमिहीन ग्रामीण गरीबों का प्रतिशत बहुत अधिक है। इसलिए गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में बदलाव किए जाने की जरूरत है।

लेकिन आज हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां हमें दक्षिणपंथी ताकतों के हमलों से संविधान का बचाव करने की जरूरत है। हमें भाजपा और उसके दक्षिणपंथी संगठनों (संघ परिवार) की सांप्रदायिक विचारधारा के अनुरूप संविधान के मूल को बदलने की कोशिश का विरोध करना होगा ।

पहला मुद्दा धर्मनिर्पेक्षता का है। प्रधानमंत्री एक आरएसएस प्रचारक हैं [जो एक आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं] । आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक धुर दक्षिणपंथी संगठन है, जिसने नाज़ी नेता एडोल्फ हिटलर से प्रेरणा ली है और जो अज्ञानता की ताकतों को बढ़ावा देती हैं। प्रधानमंत्री की सच्ची निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति नही, बल्कि आरएसएस की विचारधारा के प्रति है, जिसके आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने सभी भारतीयों का विरोध करते हुए हिंदुओं 'के हितों की रक्षा के लिए आरएसएस प्रचारक के रूप में शपथ ली थी। एक आरएसएस के प्रचारक के नाते, नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र [एक हिंदू देश] में बदलने के विचार में विश्वास रखते हैं – एक धर्मशासित या धर्मांधता वाला राज्य, जबकि वर्तमान में हम नागरिकता का निर्णय नागरिकों की समानता के आधार पर करते है, इनकी व्यवस्था में यह निर्णय हिंदू होने का आधार पर तय किया जाएगा। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां 17 करोड़ 50 लाख मुसलमानों के साथ-साथ लाखों सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और नास्तिक रहते हैं, जहां भारत का विचार बहुसंख्यक बहुलवादी संस्कृतियों और विश्वासों का मिश्रण है, ऐसे देश के लिए धार्मिक नीति का वर्चस्व अपमानजनक और खतरनाक है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का बचाव आरएसएस के खिलाफ जाकर करना है, जिनके सदस्यों खुले तौर पर धर्मनिर्पेक्षता 'शब्द को संविधान से हटाने का आह्वान कर रहे है। इस संदर्भ में, एक परेशान करने वाली स्थिति मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों की वृद्धि से भी पैदा हुई है जो युवाओं की बढ़ती हताशा को सांप्रदायिक विचारों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक कट्टरवाद दूसरे को पनपने में सहायता करता है और उसे मजबूत करता है। इस मामले में बहुमतवादी सांप्रदायिकता इस्लामी संगठनों के विकास में मदद कर रही है।

दूसरा मुद्दा लोकतंत्र का है। मैं धर्मनिरपेक्षता की रक्षा को अनिवार्य रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के रूप में देखती हूं क्योंकि यह जाति, लिंग, पंथ और वर्ग में समानता के अधिकार पर आधारित है। मोदी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता पर अपने हमले के

जरिये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर और नष्ट करने के तहत, संवैधानिक रूप से अनिवार्य संस्थानों की स्वायत्तता को इस हद तक नष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को चेतावनी देनी पड़ी कि न्यायपालिका और अदालतों की स्वायत्ता खतरे में है। जो लोग भाजपा को चुनौती देते हैं और उनकी जहरीली विचारधारा को 'राष्ट्र-विरोधी' करार देते है खासकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों से लेकर दलितों [उत्पीड़ित जातियों] और ऐसे कार्यकर्ता जो आदिवासियों [देशज लोगों] के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वन भूमि पर अपने अधिकारों का दावा करते हैं, उन्हे देशद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता हैं। इसके अलावा, विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर चुनिंदा तौर पर निशाना बनाया जाता है। ये नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने वाले खतरनाक घटनाक्रम हैं।

समाज के पदानुक्रमित विचारों में – जो मनु स्मृति पर आधारित है और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का सार है – ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न को बढ़ाया है। गाय की सुरक्षा के नाम पर हिंसक भीड़ को पालना एक भयावह आम अपराध है। गौरक्षा (गौ रक्षा) समूहों ने मुसलमानों और दलितों पर हमला किया है।

कमजोर समुदायों पर इस तरह के हमले से जुड़ा वैज्ञानिक स्वभाव और आलोचनात्मक सोच पर भी सीधा हमला है। जब लोग नव-उदारवादी नीतियों की क्रूरता से अपने जीवन में पैदा हुए तूफानों से परेशान हो जाते हैं, तो उनमें उन ताकतों के खिलाफ असहायता की भावना पैदा होती है, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो यह हमला ओर तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे में अनुष्ठानों और अंधविश्वास में विश्वास बढ़ने लगता हैं। यहां आपके पास एक ऐसी सरकार है जो न केवल अंधविश्वासों को बढ़ाती है बल्कि वास्तव में इसे प्रोत्साहित भी करती है। जब सूखे की मार झेल रहे किसान मदद के लिए एक मंत्री के पास गए, तो उन्होंने उनसे बारिश के लिए एक यज्ञ आयोजित करने को कहा। एक अन्य मंत्री ने उन्हें मेंढकों के विवाह की व्यवस्था करने के लिए कहा क्योंकि इससे बारिश के देवता खुश हो जाते हैं! भाजपा सरकार ने पौराणिक कथाओं और अंधविश्वास को बढ़ावा देकर विज्ञान को कमजोर करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय गौरव के नाम पर, प्राचीन भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी के अस्तित्व में होने के बारे में सरकार के मंत्री बेतुका बयान देते रहे हैं; वे

कहते हैं कि पुराने दिनों में इंटरनेट और उपग्रह का उपयोग किया जाता था, और वे कहते हैं कि गायों के जरिये केवल ऑक्सीजन पैदा होती है। प्रधान मंत्री ने खुद दावा किया कि प्राचीन भारत में सिर प्रत्यारोपण की सुविधा थी! वास्तव में, इस तरह के अभियान गणित, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में हमारे देश के अतीत में हासिल की गई वास्तविक उपलब्धियों का मजाक उड़ाते हैं। यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां अफवाहों और सामूहिक हिस्टीरिया सबसे तेज़ पनपता है, कभी-कभी चुड़ैल होने और उसके द्वारा बुरी नज़र रखने के आरोप में भयानक भीड़ बेकसूर महिलाओं की हत्या कर देती है।

तीसरा, और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा, सरकार द्वारा नव-उदारवादी नीतियों को आक्रामक ढंग से लागू करना है। भाजपा ने अपने से पूर्व की सरकारों की नव-उदारवादी नीतियों को जारी रखा है – विशेष रूप से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस-नीत सरकार (2004-2014) की नीतियों को। उनकी और मोदी सरकार की नीतियों में कोई प्रमुख अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है चुंकि भाजपा के पास आज पूर्ण संसदीय बहुमत है इसलिए वह इन नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है। 2004 में, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तो उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। यह वाम दलों के संसद के बाहर के समर्थन सहित अन्य ताकतों पर निर्भर थी। हमें, यानि कम्युनिस्ट धड़े को निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों और इन्हे लागू करने के कांग्रेस के प्रयासों के खिलाफ पूरे दमखम से एक निरंतर लड़ाई छेड़नी पड़ी और मेहनतकश के अधिकारों, मज़दूर वर्ग के खिलाफ कानूनों को अवरुद्ध करने में हम कुछ हद तक सफल हुए। वामपंथी ताकतों ने जन-समर्थक कानून – जैसे की ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक कानूनों को कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के साथ, सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे विधेयकों को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे थे। 2014 में सत्ता संभालने वाली भाजपा सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। इसलिए, यह कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए, कॉर्पोरेट क्षेत्र की सरकार के रूप में कार्य करती रही है।

सरकार की नीतियों के कारण, कृषि संकट तीव्र हुआ है। इस सरकार के शासन में हर साल औसतन 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसे देश में जहां 60 प्रतिशत से अधिक आबादी चालीस वर्ष से कम उम्र की है, शिक्षा और नौकरियां महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार द्वारा 2 करोड़ नौकरियों हर साल

पैदा करने का वादा तो दूर की बात है जो रोज़गार हमारे पास थे वे भी छीने जा रहे है, इसे सिर्फ रोजगार विहिन विकास ही नहीं, बल्कि रोजगार नुकसान विकास कहेंगे। उदाहरण के लिए नोटबंदी/विमुद्रीकरण की आपदा से असंगठित क्षेत्र में 35 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ है। मोदी का शासन इस समय भारत में बढ़ती हुई विषमताओं के पक्ष में खड़ा है। आबादी का सिर्फ 1 प्रतिशत तबका सभी घरेलू धन सम्पत्ति का 68 प्रतिशत हिस्सा कब्ज़ा किए बैठा है, यह पिछले पांच वर्षों में लगभग बीस-प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी ओर, सरकार के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये से भी कम आय मिलती है।

भाजपा सरकार 'व्यापार करने में आसानी' के नारे को बहुत पसंद करती है। ' इसका मतलब यह है कि सरकार ने इस मामले में पूरी की पूरी नियामक प्रणाली को ध्वस्त करने की कोशिश की है जो कॉरपोरेट पावर पर नियंत्रण रखती है। मोदी शासन के दौरान कार्पोरेट/निगमों ने उच्च लाभ दर्ज किए है। एक ऐसे कॉरपोरेट समूह का उदाहरण लीजिए, जिसे गौतम अडानी चलाते हैं – यानि अडानी समूह – यह एक ऐसा समूह है जो मोदी सरकार के बहुत करीब है – मोदी सरकार के पहले वर्ष के भीतर इसने 124 प्रतिशत का मुनाफा दर्ज़ किया है। वास्तव में, अडानी की फर्म ने प्रति दिन ढाई करोड़ अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया है, जिसमें तीन गुना की वृद्धि हुई है। इसमें से बड़ा मुनाफा सरकार के बड़े पैमाने की कई परियोजनाओं को सीधे अदानी को सौंपने के माध्यम से आया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अडानी समूह को सार्वजनिक धन यानि जनता के पैसे को सौंपने के लिए अपनी ही बांह मरोड़ ली थी। गैर-निष्पादित संपत्ति (एन.पी.ए.) – एक विनम्र वाक्यांश है जिसके जरीए बैंक द्वारा कॉरपोरेट्स को दिए गए ऋणों को वापस पाने में सरकार की विफलता जग ज़ाहिर है – आज यह राशि 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक [2.9 अरब अमेरिकी डॉलर] हो गयी है। भाजपा कॉर्पोरेट सत्ता की प्रमुख पार्टी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्ग चरित्र को बदल दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2014 के बाद से, कॉरपोरेट्स ने अपना समर्थन भाजपा को स्थानांतरित कर दिया है, और यह भारत के शासक वर्गों की मुख्य पार्टी बन गई है।

चौथा, इसकी विदेश नीति निश्चित रूप से साम्राज्यवाद समर्थक और विशेष रूप से अमेरिका समर्थक है। उदाहरण के लिए, फिलिस्तीनियों के संघर्ष के समर्थन के मामले में, अमेरिका

नोटबंदी का नतीज़ा : (बाएं से दाएं) बालय्या का पुत्र प्रशांत, खुद बालय्या, बालय्या के पिता गालय्या, सिरीशा, गालय्या की पत्नी वाजरव्वा, बालय्या की पत्नी बालालक्ष्मी और अखिला। सरकार द्वारा 86 प्रतिशत भारतीय मुद्रा को ग़ैरकानूनी घोषित किए जाने की वजह से तेलंगाना के धर्माराम गाँव के वरदा बालाय्या की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने सोचा था कि वो ज़मीन बेचकर अपने सारे क़र्ज़ चुका देगा लेकिन अब उसके सपने टूट चुके थे। उसने पूरे परिवार को ज़हर देकर जान लेने की कोशिश की और आखिरकार खुदकुशी कर ली।
राहुल एम।

का जूनियर पार्टनर बन कर सरकार ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ एकजुटता से मुंह मोड़ लिया है।

ये सभी कुछ कारण है, जिनकी वजह से भाजपा शासन भारत के लिए एक बड़ी आपदा बन गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'भीड़तंत्र' (मॉब लिंचिंग) के खिलाफ कुछ तीखे बयान दिए हैं। अपने इन बयानों के तहत न्यायालय ने सरकार को हिंसक भीड़ पर लगाम लगाने की बात कही है। यह खुद अपने आप में सरकार के खिलाफ एक अभियोग है। इसके बावजूद, भाजपा का कहना है कि वह भीड़ के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी – मवेशी व्यापार से जुड़े हुए लोगों की हत्या, इसका बड़ा उदाहरण है। उनके मुताबिक यह लगभग एक 'अच्छी लिंचिंग' (भीड़ के जरीए हत्या) है – हिंसक भीड़ के ज़रिए हत्या के इस्तेमाल से एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जा रही है जो भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की पक्षधर है। आरएसएस के एक नेता ने कहा, 'अगर लोग गोमांस खाना बंद कर देंगे तो' लिंचिंग बंद हो जाएगी। ' सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और आर.एस.एस.-भाजपा की इस भीड़तंत्र की महामारी के बारे में आपका क्या कहना हैं?

2015 में, दादरी (उत्तर प्रदेश) में एक भीड़ ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अखलाक ने एक गाय की हत्या की है,और भीड़ ने उसे मार डाला। इस अपराध को आरएसएस-भाजपा ने सही ठहराया। यह आने वाले जुलमतों के दौर का संकेत था। मॉब लिंचिंग (हिंसक भीड़ के जरिये हत्या) की घटनाओं ने अपराध को लगभग सामान्य बना दिया है। आपका इस बात के लिए कत्ल किया जा सकता है कि आप क्या कहते हैं, आप क्या पहनते हैं और आप किससे शादी करना चाहते हैं या फिर आप क्या हैं। आरएसएस-भाजपा को लगता है कि कुछ लिंचिंग (हत्याएँ) अच्छी है, और जो लोग इस तरह की लिंचिंग (हत्याए) करने में भाग लेते हैं, वे अपराधी नहीं बल्कि नायक हैं। भाजपा के मंत्री इस तरह के समारोह में जाते हैं

और उन कातिलो को माला पहनाते हैं जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों का कत्ल किया है। यह बहुत ही खतरनाक,चौंकाने वाली और निंदनीय स्थिति है।

उनके मुताबिक अच्छी लिंचिंग(कत्ल) क्या है? अगर एक भीड़ एक मुस्लिम व्यक्ति को मार देती है जो एक हिंदू लड़की से शादी करने की हिम्मत करता है – जिसे बीजेपी सनसनीखेज रूप से लव जिहाद कहती है – तो उसे एक अच्छी लिंचिंग के रूप में देखा जाता है। अगर कोई भीड़ सार्वजनिक स्थान पर नमाज़ अदा करने के लिए मुसलमानों पर हमला करती है, तो इसे एक अच्छी लिंचिंग के रूप में देखा जाता है। अगर कोई वेलेंटाइन डे मनाने के लिए प्रेमी जोड़ों पर हमला करता है, तो इसे एक अच्छी लिंचिंग के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक मामले में, भीड़ का बचाव आरएसएस-भाजपा द्वारा किया जाता है।

यह समान रूप से परेशान करने वाला तथ्य है कि कई मामलों में पुलिस और कभी-कभी न्यायपालिका भी इन कातिलो के प्रति सुरक्षात्मक रही है। भीड़ द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, और अदालतों ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। मोहम्मद अख़लाक़ के परिवार को गोहत्या के लिए गिरफ़्तार करने की धमकी दी गई है – जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था । यह पूरी तरह से झूठा मामला है। इस बीच, मोहम्मद अखलाक के हत्यारे सड़कों पर खुले घुमते नज़र आते हैं। जुनैद खान – 2017 में एक स्थानीय ट्रेन में मार दिया गया – इसमें भी कोई न्याय मिलने की संभावना नहीं है। पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट बताती है कि जुनैद खान के हत्यारों ने आत्मरक्षा में ऐसा किया। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि 'अच्छी लिंचिंग भी होती है, तो इस बुरे ख्वाब का कोई अंत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को चेतावनी के बावजूद, शीर्ष स्तर के मंत्रियों ने गौ रक्षा के नाम पर गोरक्षा [गौ रक्षकों] समूहों को आधिकारिक मंजूरी दे रखी है – जबकि वास्तव में उनका हत्यारे होने के अलावा कोई ओर आस्तित्व नहीं हैं। सरकार का कहना है कि उसके पास उन मुद्दों के लिए पैसा नहीं है जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हैं, लेकिन गायों की रक्षा के लिए उनके पास पैसा है। यहां तक कि गाय की सुरक्षा के लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया है। मोदी सरकार का कहना है कि भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को देने के लिए उसके पास अतिरिक्त भूमि नहीं है, लेकिन वह गौ आश्रय के लिए उदार मात्रा में भूमि आवंटित

कर रही है। उनके लिए गौ रक्षा मानव कल्याण से परे है और प्राथमिक है। और ऐसा लगता है जैसे आज़ भारत में गाय बन कर पैदा होना बेहतर है।

हत्यारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। भीड़ के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार की ऐसा कोई कानून बनाने की इच्छा नहीं है।

थॉमसन रॉयटर्स के एक हालिया अध्ययन ने भारत को दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक स्थान बताया है। महिलाओं की स्वतंत्रता के मामले में भारत इतना क्रूर समाज क्यों बनता जा रहा है?

मैं उनकी कार्यप्रणाली को नहीं जानती जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस नतीज़े पर पहुंचने के लिए किया हैं और अन्य देशों में तुलनात्मक रूप में स्थिति कैसी है, लेकिन निश्चित रूप से न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि भारत में हिंसा की क्रूरता में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं जिसके तहत उन्हे देश में प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है, बलात्कार किया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें मार दिया जाता है। विवरण भयावह हैं। कारण क्या हैं? कई हैं, लेकिन उनमे से कम से कम एक कारण यह है कि पिछले कई दशकों से, महिलाओं ने काम करने और रहने के लिए सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश किया है। उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, अपने कौशल, अपनी क्षमताओं को स्थापित किया है। महिलाओं के इस बढ़ते दावे के खिलाफ यह एक प्रतिक्रिया है। बैकलैश यानि इस प्रतिक्रिया को बड़ी गलतफहमी द्वारा आकार दिया जा रहा है – हमारे समाज के वर्गों में एक यह भी मजबूत भावना है कि महिलाओं का एक विशिष्ट स्थान है और जो कोई भी यह सीमा पार करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ये सांस्कृतिक दीवारें जिनके पीछे महिलाओं और लड़कियों के रहने की उम्मीद की जाती है (कुछ वर्गों के लिए, कुछ अपवादों को छोड़कर), जेल की ऊंची दीवारों से ज्यादा मजबूत हैं। जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उसे सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, एक स्वतंत्र नागरिक होने के बावजूद, वह जो कपड़े पहनती है, वह जिस व्यक्ति से बात करती है, उस स्थान और समय पर जहां वह होती है उसे दोषी करार दिया जाता है। यह महिला ही है जिसे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता

है। यह स्त्री जाति से द्वेष का कुतर्क है।

सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिक्रिया स्वतःस्फूर्त नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया भी नहीं है। इसे रूढ़िवादी ताकतों द्वारा बनाया गया है, जिसमें धार्मिक रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी संस्थाएं शामिल हैं। महिलाओं को धर्म और जाति के पदानुक्रमों के माध्यम से पीछे हटा दिया जाता है। हम दलित महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देख रहे हैं, जो प्रत्येक दिन कमजोर परिस्थितियों में काम करती हैं, खासकर ग्रामीण भारत में। यौन उत्पीड़न के लिए उनकी भेद्यता उनके जीवन की भौतिक स्थितियों के कारण अधिक है।

'ऑनर किलिंग' का विचार अब भारत में लगभग सामान्य हो गया है। जैसे-जैसे अधिक लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में जा रही हैं, और जितना अधिक युवा लोगों को एक-दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के युवाओं में रोमांस की संभावना बढ़ती है। यदि कोई महिला अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जीवन साथी की पसंद पर जोर देने की कोशिश करती है (विशेषकर यदि वह जाति और धर्म की सीमाओं से बाहर शादी करना चाहती है), तो संभावना है कि उसे मार दिया जाएगा। इस हत्या को एक बीमारी 'सम्मान की हत्या' यानि 'ऑनर किलिंग' के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, खाप पंचायत [जातीय सभा] सामंती परंपराओं के रखवाले के रूप में उभरी हैं। इनमें से कई खापो ने अपने जीवन के साथी को चुनने के लिए युवा लोगों की हत्या को अधिकृत किया है।

कठुआ (जम्मू और कश्मीर) में, एक 8 वर्षीय लड़की की जनवरी 2018 में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उसे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की थी, बकरवाल समुदाय की एक बच्ची थी। यह हत्या बकरवाल समुदाय को स्पष्ट संदेश देने के लिए हुई थी कि उन्हें उस क्षेत्र में बसने का अधिकार नहीं है। यह एक क्रूर हत्या थी। इलाके के भाजपा के नेताओं ने इस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगाने के बजाय, आरोपियों के बचाव में प्रदर्शन किया। इन हत्याओं के प्रति उनका यही रवैया है।

आरएसएस-भाजपा ऐसे तथाकथित 'ऑनर किलिंग' के अस्तित्व से इनकार करते हैं। भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी [1998-2004] की सरकार के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी 'ऑनर किलिंग' के नाम पर की गई हत्याओं' पर एक रिपोर्ट जारी की थी। संयुक्त राष्ट्र

तेलंगाना का एक किसान अपने बैल के साथ। यह किसान टीआरसी का कार्यकर्ता है। अपनी कुछ लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के कारण टीआरसी ने तेलंगाना में जीत हासिल की।

राहुल एम।

में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि भारत में ऐसा कोई अपराध नहीं होता है। यही कारण है कि भारत सरकार इन अपराधों पर डेटा एकत्र नहीं करती है, न ही इसे गंभीरता से लेती है। खाप पंचायतों को स्वतंत्र लगाम दी जाती है क्योंकि उनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में वोट जुटाने के लिए किया जाता है। आर.एस.एस.-भाजपा लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग स्कूल बनाना चाहती है, ताकि महिलाओं को सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से वंचित किया जा सके और माता-पिता अपने बच्चों के घुमने फिरने को मज़बूती से नियंत्रित कर सके। इस तथाकथित समस्या ले लिए यह उनका तथाकथित 'समाधान' है।

सरकार के ढुलमुल रवैये के परिणामस्वरूप, भारत में महिलाओं के खिलाफ घटे अपराधों के खिलाफ सज़ा की दर सबसे कम दरों में से एक है। किसी भी वर्ष में कम से कम 70 प्रतिशत मामले लंबित 'श्रेणी में आते हैं – या कि उन्हें अभी तक अदालतों द्वारा सुना नही गया है और या फिर सुनवाई के लिए उनके बारे में कोई फैसला ही नहीं किया गया है – और जो सुनवाई होती है उन मामलों में सुनवाई के दौरान 75 से 80 प्रतिशत अभियुक्त बरी हो जाते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की हत्याओं से निपटने के लिए मौत की सजा को भारत में लाना चाहते हैं। मैं सैद्धांतिक रूप में मृत्युदंड के खिलाफ हूं। अन्य सभी कारणों के अलावा, यह निश्चित रूप से समस्या को हल करने या महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर को कम करने में सहायक साबित नही होगा। इसके विपरीत, जैसा कि भारत में महिला संगठनों ने तर्क दिया है, कि इससे बलात्कार की शिकार महिलाओं की हत्याएँ होने की सम्भावना अधिक हो सकती है क्योंकि अपराधी महिला के गवाही देने के डर से ऐसा कर सकता हैं। संघर्ष, सजा की निश्चितता के लिए होना चाहिए। हमें निश्चित रूप से बर्बर यौन अपराधों के लिए कड़े दंड की आवश्यकता है जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल होना चाहिए।

एनसीआर के साहिबाबाद इलाके में एक श्रमिक परिवार। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कोई दफ़्तर है? उन्होंने कहा – नहीं, ये कोई दफ़्तर नहीं, हमारा घर है ये।
राहुल एम।

भाग 2 : समाधान

जैसे-जैसे देश 2019 के चुनाव की ओर बढ़ रहा है वैसे-वैसे सरकार के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ रहा है। आप इस प्रतिरोध का मूल्यांकन कैसे करती हैं?

निश्चित रूप से भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विभिन्न वर्गों के लोगों की लामबंदी बढ़ी है। यह अलग बात है कि मुख्यधारा का मीडिया अक्सर इन लामबंदियों को नजरअंदाज या कम करके आंकता है। हाल ही में किसानों के संघर्ष और मज़दूरों की हड़ताल के रुप में निरंतर संघर्ष देखे गए है – जिसमें डे-केयर मज़दूर और स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले श्रमिकों से लेकर औद्योगिक श्रमिकों, बैंक और बीमा कर्मचारी तक इन आंदोलनों में शामिल हुए है। केंद्रीय ट्रेड यूनियने जनवरी की शुरुआत में दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की तैयारी कर रही हैं।

ये लामबंदी स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं। 5 सितंबर को राजधानी की सड़कों पर किसानों और मज़दूरों का सबसे बड़ा मार्च हुआ था जिसमें सैंकड़ों हजारों किसानों मज़दूरों ने हिस्सा लिया था और इसमें युवा और महिलाएं भी शामिल हुई थी। यह बेहद प्रेरणादायक था। वास्तव में, यह लोगों की इतनी बड़ी लामबंदी और किसानों [किसानों] और श्रमिकों के बीच काम करने वाले संगठनों की बढ़ती एकता के कारण हुआ है, जिसने राजनीतिक दलों को देश भर में बढ़ते असंतोष को पहचानने के लिए मजबूर किया और सभी पार्टियों ने अब किसानो-मज़दूरों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। यह इन लामबंदियों की वजह से ही संभव हुआ है। इन वर्गों को एक साथ लाने और एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने में वाम उन्मुख जन और वर्ग संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की नीतियों को चुनौती देने में वामपंथी दल पहले से बहुत आगे हैं। आगामी चुनावों के संदर्भ में, ये संगठन अपने सदस्यों से सरकार और उसकी नीतियों की हार सुनिश्चित करने का आहवान करेंगे।

हम आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक प्रभाव देखेंगे।

17 जनवरी 2016 को दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या/सांस्थानिक हत्या के वरोध में हिन्दू-पुनरुत्थानवादी एनजीओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दिल्ली कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते छात्र।
राहुल एम।

आज भारतीय वामपंथियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य और चुनौतियाँ क्या हैं?

हम क्रांति में विश्वास रखते हैं, हम समाजवाद में विश्वास करते हैं। ये हमारे लक्ष्य हैं। हमारा दिन-प्रतिदिन का कार्य कठिन और कभी-कभी निराशाजनक हो सकता है। लेकिन हमारा काम हमारे उद्देश्य-क्रांति और समाजवाद से रोशनी पाता है। इन चुनौतियों को वर्तमान के मुद्दों और समस्याओं के साथ रखते हुए हम अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहेंगे । यदि हम वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए वह रणनीति अपनाते हैं जो हमारे रणनीतिक लक्ष्य को कमजोर करती है तो यह आत्म-पराजित करने वाला और अवसरवादी होगा। कम्युनिस्टों को अक्सर उदारवादी लोगों द्वारा सलाह दी जाती है कि वे खुद को 'नए सिरे' सें परिभाषित करें – और वर्ग संघर्ष को छोड़ दें, संगठन के सिद्धांतों को छोड़ दें, कम हठधर्मीता अपनाएं आदि। दूसरे शब्दों में, वे हमें उनके अपने जैसा बनने की सलाह दे रहे हैं! निस्संदेह, हमें भारत में पूँजीवाद के विकास से होने वाले भारी बदलावों के बारे में पता होना चाहिए, न केवल तीव्र शोषण और असमानताओं के संदर्भ में, जिनके बारे में मैंने बात की, बल्कि शहरीकरण में हुई वृद्धि के बारे में भी, जिससे मध्यम वर्गों का विस्तार हुआ है और युवाओं की उम्मीदे बढ़ी हैं। पूँजीवाद द्वारा प्रचारित संस्कृति और बाज़ार व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तिवादी समाधानों को पेश करते हैं। वे इसे सभी युवा लोगों की एक पूरी पीढ़ी के चित्रण से जोड़ते हैं। यह निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है: कि युवाओं तक हमारे संदेश को ले जाने का सबसे प्रभावी तरीका कैसे खोजा जाए। तब जब भारत में फिर से जाति व्यवस्था और इसके साथ ही शोषण तेज हो गया है। जाति की चुनौती और जाति व्यवस्था और जाति उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध संघर्षों का निर्माण करना और ऐसे संघर्षों को पूंजीवाद के खिलाफ संघर्षों और लक्ष्यों के संदर्भ में लड़ाई से जोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रेड यूनियन और अन्य वर्ग संगठनों को निश्चित रूप से इन पहलुओं के लिए अधिक मुखर और चौकस होना होगा। यह हमारे दृष्टिकोण में कमजोरी रही है। संगठित वाम अपनी पहुंच में सीमित है। हमारी संगठनात्मक ताकत से परे वामपंथियों का प्रभाव केवल बंगाल, केरल, और त्रिपुरा जैसे कुछ पारंपरिक रूप से मजबूत क्षेत्रों में है, हम लोगों के बीच अपने प्रभाव को अपने समर्थन में नही बदल पाए हैं।

एक और चुनौती संसदीय क्षेत्र है। यहां कॉर्पोरेट पैसे की भारी शक्ति के कारण, वामपंथियों

को अपने समर्थन को वोटों में तब्दील करना मुश्किल हो रहा है। जब नगरपालिका सीटों के लिए स्थानीय चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो आप संसद में एक सीट के लिए लड़ने की लागत की कल्पना कर सकते हैं। हम कॉरपोरेट्स से पैसा नहीं लेते हैं। हमने कपटपूर्ण चुनावी बॉन्ड प्रणाली का भी विरोध किया है जिसमें दाता की पहचान गुप्त रखी जाती है। भाजपा को इन बांडों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन मिला है; उन सभी क्रोनी कैपिटलिस्टों से (भाजपा के नज़दीकी पूंजिपति) और उनकी पहचान को जिन्होंने उन्हें एहसान के लिए भुगतान किया है, छुपाई गयी हैं। हमारे संघर्ष के एजेंडे में चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस बीच, हमें अत्यधिक वंचित स्थिति में चुनाव लड़ना होगा।

वर्तमान स्थिति में हमारा मुख्य कार्य नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ, भाजपा सरकार द्वारा पैदा किए गए सांप्रदायिक खतरे के खिलाफ और संघ परिवार के खिलाफ लोगों के संघर्ष का निर्माण करना है। हम एक वैकल्पिक नीति ढांचे और दृष्टि के आधार पर वाम और लोकतांत्रिक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस की विचारधाराओं द्वारा प्रचारित धर्म के आधार पर विभाजन का अनुमान केवल चुनाव परिणामों के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता है। अगर हर दिन सोच में सांप्रदायिक बदलाव होता है, और सांस्कृतिक प्रथाओं में परिलक्षित होता है तो यह कहीं अधिक खतरनाक है। यहां वामपंथियों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी गैर-समझौतापरस्त लड़ाई के जरिये और आम दैनिक मुद्दों से जुड़े लोगों की एकता का निर्माण करने के लिए सभी स्तरों पर आरएसएस से लड़ने की विश्वसनीयता हासिल की है। मनुवादी हिंदुत्व [आरएसएस और भाजपा की विचारधारा] के आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष ताकतों को शामिल करने के लिए व्यापक प्लेटफार्मों का निर्माण करते हुए वामपंथी पहचान और वाम राजनीति पर जोर देना आवश्यक है।

हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हम सभी संसाधनों से भरपूर एक उच्च केंद्रीकृत राज्य शक्ति का सामना कर रहे हैं। शासक वर्गों द्वारा नियंत्रित मीडिया और संचार प्रौद्योगिकियों यथास्थिति का बचाव करने और वामपंथ के खिलाफ झूठ का निर्माण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई हैं। उच्च प्रौद्योगिकी और शासक वर्गों की पार्टियों की भारी धन शक्ति के इस दौर में आमूल परिवर्तन का संघर्ष जाहिर तौर पर पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग है।

हमारी सबसे बड़ी ताकत, जिस पर हमें अपने आंदोलन का निर्माण करना जारी रखना चाहिए, वह हमारे हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं का दैनिक कार्य है। हम आजीविका और लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर लड़ने के लिए रोजमर्रा के संघर्ष में शामिल होते हैं। केवल इसके माध्यम से हम अपने वैकल्पिक एजेंडे के साथ लोगों तक पहुंच सकते हैं और केवल इन लड़ाइयों के माध्यम से ही हम बेहतर विकल्प और लोगों में विश्वास का निर्माण कर सकते हैं।

लेकिन हम प्रौद्योगिकी के नए विकास की अनदेखी भी नहीं कर सकते। हमें अपने वैकल्पिक मीडिया का निर्माण करना चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, जो लोगों के लिए संचार का एक साधन है। हम जानते हैं कि युवाओं के लिए संचार का यह रूप आवश्यक हो गया है। हमें लगता है कि संचार के इन तरीकों के इस्तेमाल में वामपंथ को पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में अपनी परंपराओं का उपयोग करने के हर तरीके से रचनात्मक होना होगा। हम सोशल मीडिया के जरिये अल्पकालिक अवधि की व्यवस्था के दबाव में काम नही कर सकते हैं जैसाकि यह दबाव हर समय बना रहता है। हमें मीडिया का उपयोग व्यवस्था के प्रति स्पष्ट समझ बनाने के लिए और इसके लिए एक मजबूत चुनौती तैयार करने के लिए करना होगा।

अधिनायकवाद के वर्तमान माहौल में, उदारवादियों और यहां तक कि वामपंथी ताकतों के प्रति सहानुभूति रखने वालों ने भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ सभी राजनीतिक बलों के व्यापक गठबंधन का आह्वान किया है। इस पर आप की क्या राय है?

हमारी राजनीतिक लाइन हमारी चुनावी रणनीति को निर्धारित करती है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा मुख्य राजनीतिक उद्देश्य भाजपा को राजनीतिक, वैचारिक रूप से और सभी नीतिगत मामलों में हराना है। इसलिए निश्चित रूप से, चुनावों में हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके। यह हमारे दृष्टिकोण का पहला बिंदु है। इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा? हमने तय किया है कि हमारा प्रयास भाजपा के खिलाफ वोट विभाजन को कम करने होगा, जिसका अर्थ है कि हम उन सीटों पर लड़ेंगे, जहां हमारा मजबूत आधार है और अन्य सभी

सरकार के वादे पर हमने अपने लिए घर और शौचालय बना लिए। महीनों बीत गए लेकिन अब तक हमें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। हम आज जन्मभूमि कार्यक्रम के अधिकारियों के पास इस मुद्दे पर एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। [अनंतपुर ज़िले के अमदागुर मंडल के आसपास की तस्वीर, जनवरी 2018]
राहुल एम।

बंगलुरु की सड़कों पर झाड़ू लगाते अनंतपुर ज़िले के ग्रामीण इलाकों के दलित। एक महिला सफ़ाई कर्मी ने कहा कि 'अनंतपुर के दलितों की बदौलत ही बंगलुरु बदबू नहीं मारता।'

राहुल एम।

सीटों पर, हम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उस विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो भाजपा को हराने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। यह राज्य दर राज्य अलग-अलग होगा। वास्तव में, यह दिलचस्प है कि ज्यादातर पार्टियां उसी नतीजे पर पहुंची हैं, जो हमने अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा था, जिसने भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत विविध परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्रीय दलों द्वारा उनमें से कई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राष्ट्रीय गठबंधन संभव नहीं है और इसे केवल चुनाव के बाद बनाना संभव होगा क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। वर्तमान में राज्य आधारित गठबंधन हो सकते हैं। माकपा क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी गठबंधन और कांग्रेस जैसे शासक वर्गों की अखिल भारतीय पार्टी के बीच अंतर करती है। हमारे पास क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसे गठजोड़ हो सकते हैं जैसे कि अतीत में हमारे पास थे, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र में। इस तरह के गठजोड़ की संभावना पर हमारे संगठन द्वारा राज्य में चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) क्षेत्रीय पार्टी के सत्ता में होने से एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति है, यहां वामपंथी टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे जो पूरी तरह से सत्तावादी, फासीवादी तरीकों से भाजपा के साथ प्रतियोगिता में है, यहां हमारा प्रयास भाजपा और टीएमसी दोनों को हराना होगा।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संसद में माकपा और वाम दलों की ताकत को बढ़ाना है। मुझे यहां विवरण में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह तभी हो सकता है जब वामपंथी संसद में मजबूत उपस्थिति में हो तभी नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ लोगों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र की विषाक्त सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ाई को बीजेपी-आरएसएस के खिलाफ तेज़ी से लड़ा जा सकता है। इसलिए, हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी।

पार्टी कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन दोनों उद्देश्यों को कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन किए बिना हासिल किया जाना है। हम भाजपा और कांग्रेस की बराबरी नहीं करते, भले ही वे एक ही शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों। मैंने पहले के उत्तरों में कारण बताए हैं कि भाजपा भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरा क्यों है। इसलिए हमारा ध्यान भाजपा को हराने के लिए है। लेकिन हमें अपनी वैकल्पिक नीति को ध्यान में रखना होगा तब जब हम चुनावी गठबंधन तय करेंगे।

तीसरा, हम लोगों को स्पष्ट रूप से बताते हैं, कि हम एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस सरकार का आकार लोगों के फैसले के बाद ही तय किया जा सकता है।

हमारा चुनाव अभियान हमारी राजनीतिक लाइन के अनुरूप होगा, हमारी वैकल्पिक नीतियों के आधार पर भाजपा और उसके नव उदारवादी नीतिगत ढांचे के सांप्रदायिक सत्तावादी और विभाजनकारी शासन से लड़ने के लिए है। हमारा यह विश्वास कतई नहीं है कि नव-उदारवादी एजेंडा विभाजनकारी एजेंडे को हरा सकता है – ये दोनों एक-दूसरे को पोषित करते हैं।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, माकपा वाम मोर्चे के घटक के रूप में, दशकों तक शासन करती रही हैं। दोनों में, माकपा और वाम मोर्चा अब सत्ता से बाहर हैं। माकपा ने दोनों राज्यों में खोई राजनीतिक ज़मीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में चुनाव हारने के बाद, हमारे संगठन को गंभीर, कठोर और निरंतर दमन का सामना करना पड़ा है। इन राज्यों के बाहर के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि हमारे साथी किस तरह की हिंसा का सामना कर रहे हैं। बंगाल में हमारे सैकड़ों कैडर और हमदर्द मारे गए हैं। त्रिपुरा में भी हिंसा फैल रही है। बंगाल में हिंसा राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के जरिये होती है और त्रिपुरा में भाजपा और आरएसएस के जरिये से होती है। हजारों वाम सदस्यों और समर्थकों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, उन पर हजारों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं – बंगाल में इन मुकदमों की संख्या 20,000 है। वामपंथी पार्टियों से जुड़े पुरुषों और महिलाओं को धमकी दी जाती है कि अगर वे लाल झंडे का समर्थन करेंगे तो उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। यह सब हमारी पार्टी के सदस्यों और उन लोगों के विश्वास को तोड़ता है जिन्होंने हमें वोट दिया था। इस दौरान हमारी सबसे बड़ी तात्कालिक चुनौती पार्टी, पार्टी संरचनाओं, पार्टी कार्यालयों, पार्टी कैडर और और हमदर्दों के घरों और परिवारों की रक्षा करना है। हमारे प्रतिबद्ध कैडर के बिना लोगों के साथ हमारा जुड़ाव फिर से स्थापित करना और लोगों के संघर्षों को विकसित करने के लिए लोकप्रिय सुविधाएं जारी रखना असंभव होगा। हमारे कैडर की सुरक्षा और हमारे राजनीतिक कार्यों की निरंतरता आपस में जुड़ी हुई चीज़े है।

हम चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन हमने अपना काम नहीं रोका। वाम दलों को हराने और सत्ता में आने वाले दल हमारे इस इस विरोध करने की क्षमता को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और त्रिपुरा में भाजपा जैसी पार्टियों को पता है कि चुनावी हार के बावजूद, वाम और सीपीआई (एम) का लोगों के साथ गहरा संबंध है, जो इस हार को अस्थायी बनाता है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हमारे खिलाफ हो रहे सबसे भयानक प्रकार के दमन इस तथ्य की व्याख्या करते है। उनका प्रयास शारीरिक रूप से हमारा सर्वनाश करना है। वे लोगों के साथ हमारे संबंध को शारीरिक रूप से तोड़कर, पार्टी को नष्ट करने के उद्देश्य से हमारे खिलाफ हिंसा का उपयोग करते हैं।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, जमीनी स्तर पर हमारे कैडर जबरदस्त बलिदान दे रहे हैं। उनका प्रतिरोध प्रेरणादायक है। बिना असफलताओं के कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होता है। हमारे लिए मुद्दा हमारी पार्टी पर हमला नहीं है, बल्कि पार्टी का बचाव करने और लोगों के साथ संबंध बनाए रखने की लड़ाई में हमारे कैडर के प्रतिरोध पर है। अब हम पाते हैं कि इस प्रतिरोध और बहादुरी ने हमारी पार्टी के लिए लोगों से नई गतिशीलता और नया समर्थन प्राप्त किया है। यह एक बदलाव है जो पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बलिदान के बाद आया है। हम आगे बढ़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी मेहनत और हमारे दृढ़ संकल्प से ही आगे का मार्ग प्रशस्त होता है।

केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार, माकपा सरकार के हिस्से के रूप में, आज भारत में एकमात्र वामपंथी सरकार है। उस सरकार का वैकल्पिक एजेंडा क्या है और आप उसके सत्ता में दो साल के होने का आकलन कैसे करती हैं?

वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार भारत की उन कुछ सरकारों में से एक है जिसने वास्तव में अपने चुनावी वादों को पूरा करने और काम के पहले दिन से ही उन्हें लागू करने का काम किया है। उदाहरण के लिए, एलडीएफ ने डबल पेंशन का वादा किया, जो उसने अपने पहले महीने के भीतर ही पूरा कर दिया था। सरकार ने वादे के अनुसार न्यूनतम वेतन में वृद्धि की, जिससे यह देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। कोई भी बचा हुआ कार्यक्रम विकास के पर्यावरणीय स्थायी मॉडल की आवश्यकता के लिए अंधा नहीं होना चाहिए। ग्रीन

कोच्चीन शहर से ट्रेन से अपने घर को लौटते प्रवासी मज़दूर।
राहुल एम।

केरल मिशन नव-उदारवादी परियोजना के खिलाफ एक पूर्ण पैमाने पर पर्यावरणीय विकल्प तैयार कर रहा है जो हमारे सामने आने वाली उन पर्यावरणीय चुनौतियों का विकल्प देता है जिनका सामना हम कर रहे हैं।

एक वामपंथी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल होना चाहिए। सरकार ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए अपने बजट में पर्याप्त राशि आवंटित की है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में हम सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की तरफ पलायन देखते हैं – और इसकी वजह से आमतौर पर माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कर्ज में डूबे हुए रहते हैं – केरल में, हम माता-पिता को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए तत्पर पाते हैं। वे जानते हैं कि वे एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक प्रगतिशील पाठ्यक्रम के साथ जो विज्ञान को गंभीरता से लेता है। कक्षाओं को अपग्रेड करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। हम यह नहीं मानते हैं कि केवल निजी स्कूलों में कंप्यूटर और अन्य उन्नत शिक्षण तकनीक होनी चाहिए। केरल शिक्षा मिशन पाठ्यक्रम का समर्थन करने वाले शैक्षिक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार ने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के लिए डिस्पेंसर भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि लड़कियों को उनकी शिक्षा से बाधित न होना पड़े।

जब स्वास्थ्य के देखभाल की बात आती है, तो एलडीएफ सरकार सार्वभौमिक अधिकारों के आधार पर एक सार्वभौमिक योजना पर जोर दे रही है। यदि सभी लोगों को एक सार्वभौमिक योजना के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल मिलती है, तो आप स्वास्थ्य देखभाल को निजी क्षेत्र की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं, जहां स्वास्थ्य के बजाय अधिक लाभ कमाना लक्ष्य है। अगर किसी के पास निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए पैसा है, और यदि वे निजी अस्पताल जाना पसंद करते हैं, तो यह उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन यह एक व्यक्ति की पसंद बनी रही चाहिए, मज़बूरी नहीं । सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जानबूझकर कम स्टाफ और बेहतर मशीनरी के लिए धन की उप्लब्धता में कमी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की कीमत पर निजी स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना कोई विकल्प नहीं है। केरल में, हम लोगों को एक वास्तविक विकल्प प्रदान करना चाहते हैं, जो एक गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रावधान के माध्यम से होगा। तभी लोग चुन सकते हैं कि उन्हे कहां जाना चाहिए। यह

वामपंथ की दृष्टि है।

केरल सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। यह ट्रांसजेंडर समुदाय सहित अल्पसंख्यकों को अधिकार और सेवाएं प्रदान करने में आगे है। एलडीएफ संघवादी व्यवस्था के लिए लड़ता है, राज्य के अधिकार के लिए अपना एजेंडा निर्धारित करता है और वह केंद्र सरकार द्वारा तय एजेंडे पर नही चलता है। हम इस या उस लाभ के लिए नई दिल्ली से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेवा और वित्त प्राप्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। 2018 में, केरल को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार की सहायता काफी कम थी। केरल की आबादी – और भारत के लोगों ने – बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए जमकर मदद की थी। केंद्र सरकार ने केवल थोड़ी सी सहायता प्रदान की, और वह भी तब जब उसे चुनौती दी गई। केरल सरकार और वामपंथी जन और वर्ग संगठनों ने लोगों के लिए अनुकरणीय सेवा में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और विशेष रूप से, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को लोगों के बीच आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए, और शांत संकल्प के साथ पूरे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

केरल की एलडीएफ सरकार की पांच साल की बजटीय योजना थी, जिसके तहत बुनियादी ढांचा खर्च, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च और ग्रीन केरल मिशन के लिए खर्च करने के लिए काम किया गया था। फिर, बाढ़ आ गई। यह सबसे विनाशकारी बाढ़ में से एक थी जिसे हमने देखा है। केरल के चौदह जिलों में से तेरह बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे। फर्नीचर का हर टुकड़ा, कपड़ों की हर सिलाई, हर खाना पकाने वाला बर्तन, हर संपत्ति बाढ़ में चली गई। अब पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना था। यह ऐसा शब्द है जो एलडीएफ के बाकी कार्यकाल को परिभाषित करता है। एलडीएफ सरकार के तीसरे वर्ष के लिए पूरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा की जानी थी। केरल के लिए विकास आवश्यक है, लेकिन पुनर्निर्माण अति आवश्यक है। यह एक बड़ी चुनौती है, जिसे एलडीएफ सरकार पूरा करेगी।

लेकिन बाढ़ के पानी के उतरने से पहले ही, भाजपा और आरएसएस ने सरकार पर एक समुदाय के बजाय दूसरे समुदाय का पक्ष लेने के आरोप लगाया। इस सब का जवाब लोगों ने खुद दिया। हमें विश्वास है कि आरएसएस और भाजपा केरल में माकपा नीत सरकार को

अस्थिर करने के लिए दिल्ली में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की अपनी नापाक कोशिशों में सफल नहीं होंगी।

कौशांबी मेट्रो स्टेशन के पास फूल बेचता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का एक बच्चा। राहुल एम।

Tricontinental: Institute for Social Research
is an international, movement-driven institution focused on stimulating intellectual debate that serves people's aspirations.
www.thetricontinental.org

Instituto Tricontinental de Investigación Social
es una institución promovida por los movimientos, dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de las aspiraciones del pueblo.
www.eltricontinental.org

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social
é uma instituição internacional, organizado por movimentos, com foco em estimular o debate intelectual para o serviço das aspirações do povo.
www.otricontinental.org